(8)

संख्या– 44/ वि0अनु–5/ मनो0कर/ 2003

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून:: दिनांक 21 मई 2003

विषयः– राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि0 द्वारा निर्मित फिल्म ' डा0बाबा साहिब अम्बेडकर' को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 आमोद और पणकर अधिनियम–1979 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा–11 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते है कि फिल्म डा0 बाबा साहिब अम्बेडकर' के प्रदर्शन इस आदेश की तिथि से एक–एक माह की दो किस्तों के लिये निम्नलिखित शर्तो के अधीन शत–प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त होंगेः–

1– उपर्युक्त फिल्म के एक समय में अधिकतम तीन प्रिंट पूरे प्रदेश में चलाये जायेंगे, तथा एक जनपद में एक समय में केवल एक ही प्रिंट प्रदर्शित किया जायेगा।

2– सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नही की जायेगी, और न ही उसमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

3– इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नहीं दिखायी जायेगी, सिवाय एप्रुव्ड (Approved) फिल्म के, जैसे कि यू0 पी0 सिनेमाटोग्राफ रूल्स,1951 के परिशिष्ठ–1 के सिनेमा लाइसेन्स प्रतिबन्ध संख्या (2) में उल्लिखित है, लेकिन नये आने वाले फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन आर्टस दिखाये जाने की अनुमति होगी।

2– विषयगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सिनेमा का स्वामी ,जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाय, उ0 प्र0 आमोद और पणकर

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

नियमावली–1981 (यथा उत्तरांचल में लागू) में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगें, जिस प्रकार सामान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिए जारी किये जाने वाले टिकट पर यथास्थिति शब्द 'पूर्ण कर मुक्त' मुद्रित होंगे, अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे, तथा टिकटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम लागू होंगे।

3– प्रश्नगत मामले में उपर्युक्त शर्तो तथा मनोरंजन कर से छूट के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कर मुक्ति की यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी, और उल्लंघन के लिए सम्बन्धित सिनेमागृहों के करमुक्त प्रदर्शनों पर नियमानुसार मनोरंजन कर लगाया तथा वसूल किया जायेगा।

4– निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त, कर, उत्तरांचल को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त, कर, उत्तरांचल, देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जायेगी।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या– 44 (1)/ वि0 अनु–5/ मनो0कर / 2003, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त,कर उत्तरांचल देहरादून।

2– श्री मुकेश सहगल,डिप्टी जनरल मैनेजर, (आई0एण्ड डी0/ आई0 एफ0 डी0) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि0 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' बिल्डिंग, नेहरू सेंन्टर ,डा0 ऐनी बेसेंट रोड, वरली मुम्बई–400018

आज्ञा से,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव